No. III

कर्दअहकाम

(नियम 26)

# न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाडा

लादू नाई पिता स्व. पन्ना नाई निवासी भटवाड़ा खुर्द तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ़ वगैरह।

**बनाम**

सागर नाई पिता स्व. कालू नाई निवासी भटवाड़ा खुर्द तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ़ वगैरह।

**किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 54 रा0भू0रा0अ0 बाबत् पत्रावली अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण हेतु।**

**प्रकरण संख्या : 40/2023**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 02.04.2024 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील अप्रार्थी के प्रकरण में जवाब पेश नहीं करना चाहने से अप्रार्थी संख्या–1 की जवाब देही स्टेज बन्द की जाती है। मिसल वास्ते बहस अन्तिम दिनांक 03.04.2024 को पेश करें।<br><br>**जिला कलक्टर**<br>**भीलवाड़ा** | जवाब पेश नहीं करना चाहा है |
| 03.04.2024 | पत्रावली पेश हई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर निर्णय नहीं करने से उक्त प्रकरण संख्या 09/2022 बाबत् नामान्तरण कार्यवाही को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण करने हेतु निवेदन किया, जबकि अप्रार्थी संख्या–1 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो गया है, जिससे पूर्व में उत्पन्न वाद कारण ही समाप्त हो गया है, इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।<br><br>हमनें उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी संख्या–1 के अधिवक्ता के कथनानुसार अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो गया है, जिससे पूर्व में उत्पन्न वाद कारण ही समाप्त हो गया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं का अवलोकन किया जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड पर लिया जाना, शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर शीघ्र सुनवाई हेतु अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किया जाना, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाना, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के जवाब हेतु अप्रार्थी को समय दिया जाना इत्यादि अंकित किया हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिवत सुनवाई की जा रही थी। अतः अधिनस्थ न्यायलय में विचाराधीन उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना प्रथमदृष्टया न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।<br><br>उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है तथा अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 09/2022 उनवान सागर नाई बनाम सरकार की मूल पत्रावली पुनः न्यायालय तहसीलदार, भीलवाड़ा को लौटायी जाकर वर्तमान में पदस्थापित पीठासीन अधिकारी तहसीलदार, भीलवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में उभयपक्षों को सुनकर ही नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित करें। निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालनार्थ प्रेषित की जावें। उभयपक्षकारान सुनवाई हेतु न्यायालय तहसीलदार, भीलवाड़ा के समक्ष दिनांक 18.04.2024 को पेश हो।<br><br>**जिला कलक्टर**<br>**भीलवाड़ा** | |